प्रेस नोट - थाना रोजा

जनपद शाहजहाँपुर पुलिस

सराहनीय कार्य दिनांक 20.09.2026

थाना रोजा पुलिस टीम द्वारा नाबालिग युवती को बहला-फुसलाकर भगाने एवं दुष्कर्म के अभियोग में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, जनपद शाहजहाँपुर के निर्देशानुसार में, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक नगर महोदय के निर्देशन में, क्षेत्राधिकारी सदर के पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष थाना रोजा के नेतृत्व में चलाये जा रहे अभियान चिन्हित किये गये अपराधियों की गिरफ्तारी व तलाश वांछित/वारन्टी-जिलाबदर अपराधी व रोकथाम अवैध शराब-शस्त्र/अफीम चरस बिक्री-निर्माण एवं चैंकिग संदिग्ध व्यक्ति-वाहन/गश्त के क्रम में थाना रोजा पुलिस टीम को बड़ी सफलता हासिल हुई।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 31.07.2026 को वादिनी द्वारा थाना रोजा पर लिखित तहरीर दी गयी कि दिनांक 27.07.2026 को अभियुक्त अतुल पुत्र सर्वेश, नि0 आईटीआई कॉलोनी, थाना रोजा, जनपद शाहजहाँपुर द्वारा वादिनी की नाबालिग पुत्री को बहला-फुसलाकर शादी करने के उद्देश्य से भगा ले जाया गया तथा इस सम्बन्ध में अभियुक्त के परिजनों से शिकायत करने पर वादिनी एवं उसके परिवार के साथ मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी गयी। उक्त तहरीर के आधार पर थाना रोजा पर मु०अ०सं० 348/2026, धारा 137(2)/115(2)/352/351(3) बीएनएस व धारा 3(2)(Va) एससी/एसटी एक्ट बनाम अतुल आदि पंजीकृत किया गया। प्रकरण की गम्भीरता को देखते हुए दिनांक 27.08.2026 को अपहृता की सकुशल बरामदगी की गयी। पीड़िता द्वारा दिये गये बयानों के आधार पर अभियोग में धारा 87/64(1)/64(2)(M)/127(4) बीएनएस एवं धारा 3(1)(द)(ध)/3(2)(V) एससी/एसटी एक्ट की वृद्धि की गयी। आज दिनांक 20.09.2026 को थाना रोजा पुलिस टीम शान्ति व्यवस्था ड्यूटी एवं संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेकिंग हेतु क्षेत्र में मामूर थी। इसी दौरान मुखबिर खास की सूचना पर ग्राम बल्लिया के निकट पैतापुर रोड से मुकदमे में वांछित अभियुक्त अतुल पुत्र सर्वेश, उम्र करीब 23 वर्ष, निवासी आईटीआई कॉलोनी, थाना रोजा, जनपद शाहजहाँपुर को समय करीब 13:15 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

अतुल पुत्र सर्वेश उम्र 23 वर्ष निवासी आईटीआई कालोनी, थाना रोजा, जनपद शाहजहाँपुर।

पंजीकृत अभियोग का विवरणः-

मु0अ0सं0 348/26 धारा 87/64(1)/64(2)(M)/127(4)/137(2)/115(2)/352/351(3) बीएनएस व 3(1)(द)(ध) व 3(2)(V) Sc/St Act थाना रोजा जनपद शाहजहाँपुर।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास का विवरणः-

1. मु०अ०सं० 348/26, धारा 87/64(1)/64(2)(M)/127(4)/137(2)/115(2)/352/351(3) बीएनएस व धारा 3(1)(द)(ध)/3(2)(V) एससी/एसटी एक्ट, थाना रोजा, जनपद शाहजहाँपुर।

2. मु०अ०सं० 01/22, धारा 363/328/376AB भादवि व धारा 3/4 पॉक्सो एक्ट तथा धारा 3(2)(V) एससी/एसटी एक्ट, थाना रोजा, जनपद शाहजहाँपुर।
3. मु०अ०सं० 432/25, धारा 137(2)/64(1)/87 बीएनएस व धारा 3/4 पॉक्सो एक्ट तथा धारा 3(2)(V) एससी/एसटी एक्ट, थाना रोजा, जनपद शाहजहाँपुर।

गिरफ्तारी का दिनांक, समय व स्थान:

दिनांक 20.09.2026 को समय करीब 13.15 बजे,ग्राम बल्लिया के निकट पैतापुर रोड़ पर स्थित पुलिया के पास।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-

1. थानाध्यक्ष उमेश कुमार मिश्र, थाना रोजा, शाहजहाँपुर।
2. उ0नि0 प्रदीप कुमार थाना रोजा शाहजहाँपुर।
3. हे0का0 आशाराम थाना रोजा शाहजहाँपुर।
4. का0 कपिल कुमार थाना रोजा शाहजहाँपुर।